

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोव जिला - सीकर

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण क्षेत्र

किस्म मुकदमा

उपखण्ड क्रमांक 121/122

प.नं. 4/10 वन 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/9/25	<p>प्रकरण में राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (गुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: एल.आर./2025/2148 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम जेरेठी पटवार मण्डल जेरेठी भू.अ.नि. वृत्त कूदन तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 1105, 1106, 1107, 1110, 1113, 1138, 1139 में प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है।</p> <p>सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर 50 वर्षों से प्रचलन में है। पंचायत द्वारा उक्त रास्ते में ग्रेवल सड़क डाली हुई है। उपस्थित खातेदारों ने उपस्थित होकर सरपंच, ग्राम पंचायत की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुये। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त कूदन की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेन्नु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम जेरेठी पटवार मण्डल जेरेठी भू.अ.नि. वृत्त कूदन तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 1105, 1106, 1107, 1110, 1113, 1138, 1139 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंका की है।</p> <p>सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांक: 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक: 30.09.2021 व राजस्व (गुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक: प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांक: 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। खातेदारों के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को सहत प्रदान</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोव जिला-सीकर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

रहती है, लीकर ग्रामीण नाम
क्रिस्म मुकदमा
आज्ञा - पत्र
दिनांक
पु.नं. 410 वर्ष 2025

दिनांक

आज्ञा - पत्र

करने की मंशा रखती है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर संबंधित खातेदारान की आराजी की खातेदारी में ही रखा जाकर को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/1981 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: एल.आर./2025/2148 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम जेरठी पटवार मण्डल जेरठी भू.अ.नि. वृत्त कूदन तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 1105, 1106, 1107, 1110, 1113, 1138, 1139 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के एल.आर./2025/2148 दिनांक 01.07.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला-सीकर

